महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या- 936 /2024/007-1737705

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम अयोध्या ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024

विषयः- अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत मेला मद में आवंटित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2275/न0नि0अयो0/2023-24, दिनांक 04.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-191/2024/004-1737705, दिनांक 19.01.2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-6500.00 लाख के सापेक्ष हुए वास्तविक व्यय धनराशि रू0-5380.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-3380.00 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या धाम में भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन हेतु विभिन्न कार्य/परियोजनाओं को कराये जाने हेतु , वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05-स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शिनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0-12600.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-2251.00 लाख में से शासनादेश संख्या-191/2024/004-1737705, दिनांक 19.01.2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0-6500.00 लाख के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति धनराशि रू0-2000.00 लाख के क्रम में हुए वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0-2251.00 लाख (रूपये बाईस करोड़ इक्यावन लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) शासनादेश संख्या- 191/2024/004-1737705, दिनांक 19.01.2024 में निर्धारित समस्त शर्तो का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या एवं जिलाधिकारी अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

PMgo

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) उक्त कार्य/परियोजना को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणित मॉग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,51,00,000 (रुपये बाईस करोड़ इक्यावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 30-03-2024 [illegible]:44
Reason: [illegible]
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 936(1)/2024/007-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 04.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

PMgo

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(9) उक्त कार्य/परियोजना को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणित मॉग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,51,00,000 (रुपये बाईस करोड़ इक्यावन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2053000940500 स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

संख्या- 936(1)/2024/007-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 04.03.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव ।

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 30-03-2024 17:45:47
Reason: Approved

PMgo

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/03/2024

प्रेषण संख्या:- 936
आवंटन आदेश संख्या:- 001-936-2024-007-1737705
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	225100000 968761000	225100000 968761000
	योग	वर्तमान प्रगामी	225100000 968761000	225100000 968761000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ इक्यावन लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छियानवे करोड़ सत्तासी लाख इकसठ हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव